न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 6/2023

श्री धमेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल, निवासी वाहिदपुरा वाया मण्डावा, मो0न0 7976031767, पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.01.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 6/2023 पर दिनांक 05.01.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/63–64 दिनांक 05.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/23/46 दिनांक 11.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री धमेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल, निवासी वाहिदपुरा वाया मण्डावा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 23.09.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कलक्टर क्लास के संबंध मे सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/427 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंझुनूं को निर्धारित समयावधि मे प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा मूल आवेदन पत्र वापस इस कार्यालय को लौटाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित कोई भी रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है एवं साथ ही कलक्टर की क्लाश मे अध्यापन कार्य करवाने हेतु नियुक्त कार्मिकों के आदेश की प्रति भिजवाई जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक 537 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा कलक्टर की क्लाश मे अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त कार्मिकों के आदेश की प्रति उपलब्ध [illegible] चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/23/46 दिनांक 11.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री धमेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल, निवासी वाहिदपुरा वाया मण्डावा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 23.09.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कलक्टर क्लास के संबंध मे सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 15:33:59 IST
Reason: SelfAttested

चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/427 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंझुनूं को निर्धारित समयावधि मे प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 1053 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा मूल आवेदन पत्र वापस उनके कार्यालय को लौटाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित कोई भी रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही है एवं साथ ही कलक्टर की क्लाश मे अध्यापन कार्य करवाने हेतु नियुक्त कार्मिकों के आदेश की प्रति भिजवाई जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 537 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा कलक्टर की क्लाश मे अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त कार्मिकों के आदेश की प्रति उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को उपलब्ध कराने योग्य सूचना दे दी गई है। शेष सूचना निजी जीवन से संबंधित होने के कारण नही दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:33:59 IST
Reason: SelfAttested